

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---

14/12/16 पत्रावली पेसा वकील पत्रावली उषितार
दि 13/12/16 को 20/11/17 को प्रेषित है।

20/11/17 पत्रावली पेसा वकील पत्रावली उषितार
उपरोक्त नं. 2 कापस चण काली कापस रिम
जा चुके हैं उषितारी नं 2 का जवाब बंड
किमा जाता है वहां कामकी लोकी
दि 2/5/17 को पेस है।

2/5/17 पत्रावली पेसा वकील पत्रावली उषितार
लोकनी 13/6/17 को पेस है।

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2017"
वेम्प स्थल...हमीयारावेड...
दिनांक...13/6/17...

विमलेश
शामकी

पत्रावली आज लोक अदालत में पेस हुई।
उपरोक्त पत्रकारों को सुना गया। उक्त
में पत्रकारों को सुना जाकर यह पाया जाता
है, कि उक्त में सीमा विवाद पिटित नहीं
है। वारियां का कथन है, कि उक्त कापस में
पिता पुत्र है, तथा एक राम रोकल वारियां की
खेती की शक्ति में लया वाम्ना बजाना
चाहते हैं। तथा इस हेतु वारियां की शक्ति
पर बनी चार दीवारी को हानि पहुंचाते हैं।
इस पर उषितारी का कथन वह पाम्परागत
शक्ति में खेती पर आता जाता है। उषितार
कोई नया शक्ति नहीं बना रहा है। आते
न ही उषितार वारियां की पत्रकारों की कोट
की ही सुकसान पहुंचाते हैं।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम की में जारी
	<p> पदमाली को हुकम जारी फलपत्ती का अंशदान किया गया। पादगत इमि की वारियां तथा खातेवर ही इति को वादगत इमि से सरोकार नहीं ही मने इति इस वारियां की इमि पर बैजा मदाबलत मनाहमत की जाती है, जो इससे वारियां को अपरिमित क्षति संभाव्य ही </p> <p> अतः इस वारियां स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है, कि इति को जारिय स्मार्ड निषेधासा निषेध किया जाता है, कि जो वारियां की इमि ख. नं. 14) फावा 1.44 हेक्टर ग्राम से से होकर नया रास्ता नहीं बनाये। उक्त इमि की पत्थर की नोट को नहीं उहारे ध्या वारियां के कर्तव्य कारत से मदाबलत मनाहमत नहीं करे। तदनुसार डिही जारी है </p> <p> फलपत्ती के लिये शुमार रोक बाड तारीख तारीख 20 20 ही </p> <p> विनियम आन रि. 1316/14 को राजस्व को मदाबलत से हुकम </p>	

चंडपुरा

उपखण्ड अधिकारी
 रामगंज